संख्या-624/78-1-2016-63आई.टी/2016

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 20 मई, 2016

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के बिन्दु 3.1.4 तथा 3.1.5 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के प्रस्तर संख्या-3.1.4 सूचना प्रौद्योगिकी कार्पस की स्थापना तथा 3.1.5 ई-गवर्नेन्स पहल एवं जन केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी में निम्नवत व्यवस्था है:-

3.1.4 सू0प्रौ0 कार्पस की स्थापना

- प्रत्येक विभाग अपने आयोजनागत बजट का न्यूनतम दो प्रतिशत अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्देशित धनराशि सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग (IT Applications) के लिए अलग रखेगा। इन धनराशियों को एक साथ मिलाकर पृथक बजट मद में रखा जायेगा जिसका संचालन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली सशक्त समिति के मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा किया जायेगा।
- अलग-अलग विभाग अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के रखरखाव एवं उपभोग्य सामग्री की आवश्यकता के अनुरूप धनराशि अपने पास रखेंगे। विभाग अपनी परिकल्पित आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त धनराशि भी चिन्हित करेंगे।
- एकत्रित धनराशि का उपयोग ई-गवर्नेंस, प्रशासन में सू0प्रौ0 नवाचार (IT Inovations in Administration), सू0प्रौ0 समर्थित संसाधन इष्टतमीकरण (IT supported resource optimization), मिशन मोड परियोजनाओं, निर्णय समर्थन प्रणाली (Decision support systems), एमआईएस, इन्ट्रानेट तथा अन्य विभागीय एप्लिकेशन्स एवं एनेब्लिंग टेक्नोलॉजीज के प्रतिकृति योग्य व पुनः उपयोग होने वाले (replicable and reusable) मॉडलों के विकास पर किया जायेगा। ऐसी इकाइयां जो प्रदेश में स्थित हैं उन्हें सॉफ्टवेयर एवं कौशल विकास कार्य आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- उत्तर प्रदेश के ब्रांड प्रमोशन के लिए धन की आवश्यकताओं को भी आईटी कार्पस से पूरा किया जायेगा।

3.1.5 ई-गवर्नेंस पहल एवं जन केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी

- राज्य सरकार उन प्रासंगिक सेवाओं को चिन्हित करेगी जिन्हें विकसित किया जाना है।
- **नागरिक सेवा डिलीवरी:** ई-सेवाओं की व्यवस्था को इंटरनेट तथा जन सेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, ई-सुविधा आदि जैसे कॉमन सर्विस डिलीवरी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा, जिसका एकमात्र उद्देश्य वहन करने योग्य ई-सेवाओं को सुगम बनाने के लिए एक अनुकूल वातावरण पुष्पित-पल्लवित करना होगा।
- **मिशन मोड परियोजनाएं:** उत्तर प्रदेश शासन मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) जैसे कि ई-डिस्ट्रिक्ट, अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS), पंचायती राज, वाणिज्य कर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा अन्य विभागों की परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन/संचालन को सुगम और सुविधाप्रद बनाएगी।
- **संयोजकता:** राज्य सरकार नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)/भारतनेट के अतिरिक्त नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन) पर बल देते हुए सम्पूर्ण प्रदेश में संचार एवं संयोजकता में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। मौजूदा यूपीस्वान (UPSWAN) संयोजकता का एनओएफएन/भारतनेट के माध्यम से ग्राम पंचायतों तक विस्तार किया जायेगा।
- **राज्य डाटा केन्द्र (State Data Centre) 2.0:** अत्याधुनिक यूपी-एसडीसी 1.0 (स्टेट डेटा सेंटर) को केंद्रीय डेटा कोष के रूप में स्थापित किया गया है, जिससे राज्य के समस्त विभाग पब्लिक डोमेन सूचनाओं के 24×7 के, पूर्ण क्षमता से उपयोग के लिए जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश का, आईएसओ 27001 प्रमाणित डेटा सेंटर विभिन्न विभागों को साझी अवस्थापना के साथ-साथ को-लोकेटेड होस्टिंग मॉडल उपलब्ध कराती रहेगा ताकि वे अपनी एप्लिकेशन्स और सेवाओं को कुशल प्रबंधन हेतु शासन के स्वामित्व वाली पूर्णतया सुरक्षित सुविधा के माध्यम से, संसाधनों का समुचित एवं यथेष्टतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए होस्ट कर सकें। मांग पर, आईटी अवस्थापना तथा कॉमन एप्लिकेशन्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअलाइजेशन तथा क्लाउड कंप्यूटिंग को उपयोग में लाया जा सकेगा। राज्य द्वारा एक केंद्रीयकृत हरित डेटा सेंटर (एसडीसी 2.0) विकसित करने की योजना है जो अपने स्थापना के दिन से क्लाउड रेडी होगा तथा उस पर एप्लिकेशन्स और सेवाओं की होस्टिंग "पे ऐज पर यूज" मॉडल पर आधारित होगी।
- **विश्वसनीयता का सृजन:** शपथ पत्र तथा नोटरी से सत्यापन को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए इनके स्थान पर स्व-घोषणा की प्रक्रिया प्रचलित की जाएगी। अभिलेखों के स्थान पर सेवा डिलीवरी के लिए डेटासेट्स का उपयोग किया जायेगा।
- **वर्चुअल आईटी संवर्ग का गठन:** विभिन्न ई-गवर्नेंस प्रयासों को बनाये रखने के लिए कुशल आईटी जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में वर्चुअल आईटी संवर्ग का गठन किया जायेगा जो पूरे प्रदेश में किये जा रहे आईटी प्रयासों को परिकल्पित करने, डिजाइन करने, अनुश्रवण एवं प्रबंधन कार्यों में विभिन्न विभागों की सहायता करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

- **ई-ताल:** समस्त ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन को ई-ताल (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर) से एकीकृत किया जायेगा।
- **मेगा कॉल सेंटर:** प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित जन केंद्रित योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों तथा अन्य हितधारकों से निष्पक्ष फीडबैक लेने के लिए राज्य में एक मेगा कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस मेगा कॉल सेन्टर की स्थापना का उद्देश्य न केवल नागरिकों को उनके हित में संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना, अपितु बाधाओं का निराकरण भी सम्मिलित है।
- **कम कागज के उपयोग से कागज-विहीन होने की प्रक्रिया:** विभिन्न विभागों में संचालनात्मक कुशलता में सुधार लाने (improving the operational efficiency), प्रतिवर्तन समय में कमी लाने (reduce turnaround time), सिटीजन चार्टर की मांगों को पूरा करने, पारदर्शिता तथा राज्य के विभागों के उत्तरदायित्व में अभिवृद्धि के लिए ई-कार्यालय स्थापित किये जा रहें हैं। प्रथम चरण में इस एप्लीकेशन का उपयोग अवकाश स्वीकृति जैसे अन्त:-विभागीय कार्यों और सेवाओं के लिए किया जायेगा। द्वितीय चरण में इस एप्लीकेशन का क्रियान्वयन अंतर-विभागीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु किया जायेगा।
- **ई-विलेज:** शासन से नागरिक (जी2सी) स्तर तक सर्विस डिलीवरी पहल के अन्तर्गत ई-विलेज विकसित किया गया है जोकि विभिन्न सेवाओं/प्रमाण पत्रों के ओवर द काउंटर (ओटीसी) डिलीवरी सिस्टम वितरण को सक्षम बनाने के लिए विकसित 2-1 'इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट' मॉडल पर आधारित है। कुछ चयनित ग्रामों में शासकीय सेवाओं की ओवर द काउंटर डिलीवरी करने का प्रयास किया जायेगा ताकि नागरिकों को सेवाओं की उपलब्धता शीघ्रता और कुशलतापूर्वक सुनिश्चित की जा सके।
- **स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा/आईटी साक्षरता:** राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आरंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को स्कूल में कम्प्यूटर की बेसिक शिक्षा भी मिले। समस्त स्कूली अध्यापकों/अध्यापिकाओं को कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा।
- **वाई-फाई:** राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी सम्पूर्ण प्रदेश के निर्दिष्ट सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन स्थलों, व्यावसायिक केन्द्रों को चरणबद्ध ढंग से वाई-फाई समर्थ बनाया जाये।
- **सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स:** आईटी/ई-गवर्नेंस के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के कार्यान्वयन के लिए सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स(सीईजी)/राज्य ई-गवर्नेंस मिशन टीम (एसईएमटी) नोडल संस्था होंगे। सीईजी/एसईएमटी द्वारा सम्बंधित विभाग की परियोजना क्रियान्वयन टीम के सहयोग से राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप प्रयास किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के क्रम में अपने अधीनस्थ विभागों, संस्थाओं, संगठनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि में प्रदेश शासन के उक्त संकल्प का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-624(1)/78-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4 कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
5- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(एन.भू.) आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र०, शासन।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि०/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०/श्रीट्रान इण्डिया लि०।
8- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-625/78-1-2016-63आई.टी/2016

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 20 मई, 2016

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के बिन्दु 3.2 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के प्रस्तर संख्या 3.2 मानव पूंजी/कौशल विकास तथा उसके उप-प्रस्तरों के अन्तर्गत निम्नवत् व्यवस्था हैः-

3.2 मानव पूँजी/कौशल विकास

3.2.1 क्षमता विकास

- क्षमता विकास कार्यक्रमों को कौशल विकास मिशन तथा भारत सरकार द्वारा घोषित इसी प्रकार की योजना के माध्यम से बढावा दिया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश शासन मौजूदा कौशल विकास संस्थानों यथा आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक को बड़ी आईटी कंपनियों से सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि उनकी सुविधाओं तथा दक्षता में अभिवृद्धि हो सके।

3.2.2 कौशल विकास/इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना

- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। इन केन्द्रों की स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों, उद्योग संघों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से की जाएगी।
- स्टार्ट अप्स को बढ़ावा देने के लिए आईटी उपवन (ITUPVAN) की पहल पर राज्य सरकार ने गाजियाबाद और लखनऊ में 'प्लग एन प्ले' मॉडल पर आधारित इन्क्यूबेशन सेंटर की सुविधा प्रारम्भ की है। इसके अतिरिक्त तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य में कौशल विकास तथा उद्यमिता समर्थित वातावरण उत्पन्न करने के लिए ई-सेतु (e-SETU) के रूप में ग्रामीण इन्क्यूबेशन केन्द्रों की स्थापना भी 13 जिला स्तरों पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in

अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनियों के सहयोग से की जा रही है। नीति के अन्तर्गत इन केन्द्रों का विस्तार पूरे प्रदेश में किया जाना प्रस्तावित है।

3.2.3 **अंकीय विभेद सेतुबन्ध (Bridging the Digital Divide)**

- यह सर्वमान्य है कि उत्तर प्रदेश में समाज के विभिन्न स्तरों तथा विभिन्न स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी विकास का स्तर अलग अलग है। इस अन्तर को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटाप वितरित कर रही है और डिजिटल सूचनाओं से उनका सशक्तीकरण कर रही है।

3.2.4 **ई-गवर्नेन्स के लिए पुरस्कार**

- प्रभावी जन-सेवा डिलीवरी प्रणाली (Effective Public Service Delivery System), शासकीय प्रक्रियाओं के पुनर्निमाण (Government Process Reengineering) वेबसाइट्स/वैब पोर्टल्स, एम-गवर्नेन्स, सोशल मीडिया के अनूठे उपयोग (Innovative Use of Social Media) विश्लेषणात्मक एवं निर्णय तंत्र (Analytical and decision support systems) जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करने हेतु एक पुरस्कार कार्यक्रम संस्थित किया जायेगा। ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के अनुकरणीय योगदान को भी यथोचित मान्यता दी जायेगी।

3.2.5 **एम-गवर्नेन्स को प्रोत्साहन**

- सरकार द्वारा मोबाइल आधारित एप्लीकेशन्स तथा जन-केन्द्रित सेवाओं के विकास के माध्यम से एम-गवर्नेन्स को बढ़ावा दिया जायेगा। एम-सेहत, एम-स्वास्थ्य, यूपीवन (UPOne), यूपीबस (UPBUS) इत्यादि जैसे मोबाइल एप्लीकेशन्स राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा विकसित कर व्यवहार में लाये जा रहे हैं।

3- अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के क्रम में अपने अधीनस्थ विभागों, संस्थाओं, संगठनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि में प्रदेश शासन के उक्त संकल्प का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-625(1)/78-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक, आईआईएम लखनऊ।
5- निदेशक, आईआईटी कानपुर।
6- निदेशक, आईआईआईटी इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- निदेशक, आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी ।
8- कुलपति, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
9- कुलपति, एचबीटीआई, कानपुर।
10- निदेशक, कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी, सुल्तानपुर।
11- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0।
13- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, अपट्रान भवन गोमती नगर, लखनऊ।
14- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0, शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-626/78-1-2016-63आई.टी/2016

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 20 मई, 2016

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के बिन्दु 3.3.6 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट अप नीति-2016 के प्रस्तर संख्या-3.3.6 में निम्नवत् व्यवस्था है:

3.3.6 ब्रांण्डिंग तथा व्यापार प्रोत्साहन सहायता

- अग्रणी उद्योगों तथा उद्योग संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों/सम्मेलनों/प्रदर्शनियों में राज्य सरकार द्वारा प्रतिभाग किये जाने पर उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रचारित किया जायेगा।
- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में अवस्थित प्रत्येक सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा कम्पनी को विभाग में उसका पंजीयन हो जाने पर एक प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा। पंजीयन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुलग्नक-1 संलग्न है।

3- यूपीएलसी द्वारा उपरोक्तानुसार कार्ययोजना तैयार कराकर शासन के अनुमोदनोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- आईटी एवं इलेक्ट्रानिकस अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व आदेश संख्या-1171/78-1-2012-133/2012 दिनांक 27 दिसम्बर 2012 के प्राविधानों को इस शासनादेश के प्राविधानों के आलोक में पढ़ा जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

सँख्या-626(1)/78-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4 कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
6- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(एन/भू),-आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0, शासन।
7- प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0।
8- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक–1

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों/सम्मलेनों/प्रदर्शनियों में राज्य सरकार द्वारा प्रतिभाग किये जाने पर उत्तर प्रदेश राज्य मैं अवस्थित सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों के निःशुल्क प्रचार हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन में पंजीयन हेतु

आवदेन–पत्र

(क)	इकाई का विवरण	
a.)	नाम	
b.)	प्रबन्ध निदेशक/ प्रबन्धन साझीदार/ स्वामी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम	
c.)	इकाई का पूरा पता	
d.)	दूरभाष नं0	
e.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नॅ0	
f.)	फैक्स नॅ0	
g.)	ई–मेल	
h.)	वेबसाइट	
i.)	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज से प्राप्त पंजीयन प्रमाण–पत्र संख्या	
j.)	सर्विस टैक्स पॅजीयन सं0	
k.)	परमानेन्ट एकाउण्ट सं0 (PAN)	
(ख)	इकाई के कार्यकलाप/व्यवसाय	
a.)	उत्तर प्रदेश में इकाई का पता*	
b.)	इकाई के व्यवसाय/ कार्यकलाप	
c.)	व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि	
d.)	वार्षिक टर्न–ओवर	

*कम्पनी के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्व–प्रमाणित

स्थानः
तिथिः

स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर
एवं मुहर

संख्या-597/78-1-2016-63आई.टी/2016

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 20 मई, 2016

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 के बिन्दु 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 तथा 3.1.8 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 के प्रस्तर संख्या-3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 तथा 3.1.8 में निम्नवत् व्यवस्था हैः-

3.1.1 सूचना प्रौद्योगिकी नगरों/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क्स को प्रोत्साहन

- अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी नगरों एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क्स की स्थापना जैसी उत्कृष्ट सू0प्रौ0 अवस्थापनाओं का सृजन और उन्नयन ताकि सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों हेतु 'रेडी टू मूव इन' अवस्थापना सुविधाओ पर बल दिया जा सके। प्रदेश में आईटी इकाइयों के निर्माण आधार को सुविधाप्रद बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नगरों एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क्स (चार मॉडल) हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।
- किसी सूचना प्रौद्योगिकी नगर के लिए 100 से 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है जिसमें प्रक्रिया-परिचालन (processing) एवं प्रक्रिया-रहित (non-processing) क्षेत्रों को लगभग 60:40 के अनुपात में उपयोग किया जायेगा। प्रक्रिया परिचालन क्षेत्र में मात्र सू0प्रौ0 इकाइयों यथा सू0प्रौ0 कम्पनी, बी.पी.ओ., के0पी0ओ0 आदि स्थित रहेंगे तथा प्रक्रिया रहित क्षेत्र में आवासीय सुविधायें, जन-उपयोगिता कार्यालय/सुविधा केन्द्र/व्यवसायिक क्षेत्र, शिक्षा एवं स्वास्थ्य-रक्षा एवं खुले-स्थान की उपलब्धता रहेगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों का निर्माण न्यूनतम 15000 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्रफल (floor area) में होता है। इन पार्कों के परिसर में जनसुविधा कार्यालयों/सुविधा केन्द्रों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं होगा। सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों को आवंटित किया जाने वाला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(allotted) क्षेत्र आवंटन योग्य (allocable) क्षेत्रफल का 75प्रतिशत होगा। आईटी पार्क में अधिकांश तकनीकी अवस्थापना सुविधायें आईटी सिटी के समान होती हैं जैसे कि आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ब्रांडबैण्ड कनेक्टिविटी, वाई-फाई सम्पर्क, वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा इत्यादि। आईटी पार्क, आईटी सिटी का ही लघु स्वरूप है, जिसका अधिकांश भाग आईटी गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट होता है।

3.1.2 सार्वजानिक-निजी सहभागिता (पीपीपी)

- सूचना प्रौद्योगिकी नगरों/पार्क्स के विकास के लिए राज्य द्वारा विभिन्न पीपीपी मॉडल पर बल दिया जायेगा।
- शासन द्वारा पीपीपी परियोजनाओं में निवेश को भी प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि ऐसे विश्वस्तरीय स्कूलों, अस्पतालों तथा अन्य सुविधाओं को लाया जा सके जो आईटी क्षेत्र में निवेश के प्रयासों में पूरक बन सकें।

3.1.3 सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर)

- सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग (ईएचएम) उद्योग में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र नीति-2008 (ITIR Policy-2008) अधिसूचित की गई है। राज्य सरकार प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र की स्थापना हेतु भारत सरकार के साथ सहयोगात्मक भूमिका निभाएगी। सम्प्रति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे आईटीआईआर की स्थापना प्रस्तावित है।

3.1.8 आईटी सेवाओं के नवाचार एवं शोध व डिजाइन हेतु उत्कृष्टता के केन्द्रों (Centre of Excellence) की स्थापना

- उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में बिग-डेटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग आदि जैसे उत्कृष्टता के केन्द्रों (Centre of Excellence) की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी ताकि आईटी उद्योग के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों द्वारा अथवा आईआईएम लखनऊ, आईआईटी कानपुर, आईआईआईटी इलाहाबाद, आईआईटी-बीएचयू जैसी अग्रणी संस्थाओं तथा अन्य ख्याति-प्राप्त संस्थाओं के सहयोग से शोध एवं अभिकल्प (Research & Design), नवाचार (Innovation) तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढावा मिल सके। इस व्यवस्था से उत्कृष्टता के केन्द्रों को विचारों के आदान-प्रदान में सुविधा होगी तथा आईटी विशेषज्ञों के मध्य बड़े पैमाने पर सहयोग हो सकेगा।

4- अतः यूपीएलसी कृपया उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016 के उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व आदेश संख्या-1158/78-1-2012-128/2012 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के प्राविधानों को इस शासनादेश के प्राविधानों के आलोक में पढ़ा जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-597(1)/78-1-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निदेशक, आईआईएम लखनऊ।
5- निदेशक, आईआईटी कानपुर।
6- निदेशक, आईआईआईटी इलाहाबाद।
7- निदेशक, आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी।
8- कुलपति, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ।
9- कुलपति, एचबीटीआई कानपुर।
10- निदेशक, कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुल्तानपुर।
11- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 10-माल एवेन्यू, लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि0/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0/श्रीट्रान इण्डिया लि0।
13- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, अपट्रान भवन गोमती नगर, लखनऊ।
14- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव(एन/भू), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0, शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।